रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Cell

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

दानाराम बनाम किशन सहाय वगै.

किस्म मुकदमा T.I नं० 90 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-09-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील अप्रार्थीगण उप.। दावा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण सं. 01 लगा. 06 की रजिस्टर्ड Ad सम्मन से तामील की जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 2,3,4 की ओर से जवाब पेश नहीं। जबकि अप्रार्थी सं. 2,3,4 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। अतः अप्रार्थी सं. 2,3,4 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद दावा उद्घोषणा, दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का है। मूलवाद के विनिश्चत निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा 03/08/2023 को ता फैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील हमशिता मूलवाद रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner